कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone&Fax:–+91135-2530467,2530431E-Mail-epwdua@rediff.com

पत्रांकः– 71/प्र0/लो0नि0वि0/12/13 दिनांकः– 10.6.2013

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
लैन्सडाऊन–गढ़वाल।

विषयः– मार्ग समरेखन की भूगर्भीय आख्या।

महोदय,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाऊन से सम्बंधित मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मोटर मार्ग के डेरियाखाल तक विस्तार हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

H. Kumar 10.6.13
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

पत्रांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः– कार्यालय प्रमुख अभियन्ता यातायात वर्ग लो0नि0वि0 देहरादून को आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 78/2589/13

जनपद पौड़ी गढवाल में मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मोटर मार्ग के डेरियाखाल तक विस्तार हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जून 2013

जनपद पौड़ी गढवाल में मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मोटर मार्ग के डेरियाखाल तक विस्तार हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग लैन्सडाऊन के अन्तर्गत 3.00 कि0मी0 लम्बाई में मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मोटर मार्ग के डेरियाखाल तक विस्तार हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सीडाऊन के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.03.2013 को सहायक अभियन्ता श्री के0पी0 सिंह के साथ निरीक्षण किया गया।

राज्य योजना के अन्तर्गत मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मोटर मार्ग के डेरियाखाल तक विस्तार हेतु 3.00 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग के निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखनों पर प्रारम्भिक कार्य किया गया है। समरेखन संख्या दो के पूर्ण लम्बाई में आरक्षित वन भूमि में गुजरने, अधिक वृक्षों के कटान पर स्थानीय ग्रामवासियों की असहमति को देखते हुये प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 लैन्सडाऊन के द्वारा वैकल्पिक समरेखन को मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित समरेखन मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से आरम्भ होता है तथा डेरियाखाल नामक स्थान पर पूर्ण होता है। इस समरेखन के अनुसार मार्ग की वास्तविक लम्बाई 3.00 कि0मी0 रहेगी। अवगत कराया गया कि समरेखन की आरम्भ की लगभग 1.00 कि0मी0 लम्बाई बंजर नाप भूमि से तथा आगे की शेष लम्बाई आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरती है। समरेखन में दो हेयर पिन बैण्ड्स हैं, जो क्रमशः क्रास सैक्शन 1/10 एवं 2/12 में नियोजित हैं। नाप भूमि की अपेक्षाकृत वन भूमि में पहाड़ी ढ़लान अपेक्षाकृत तीव्र है। समरेखन क्षेत्र में संधियुक्त क्वार्टजाईट एवं फिलाईट चट्टान दृष्टिगोचर हैं, एवं स्थान–स्थान पर इनके ऊपर मलबा/डेब्री का ओवरबर्डन है।

समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथा सम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिगं दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) मार्ग के आरम्भ में टेक आफ प्वाइन्ट कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाया जाये।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैंण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में बनाये जाये।

(घ) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को Avoid किया जाये।

(ङ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(च) समरेखन मे अपेक्षाकृत तीव्र पहाडी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(ग) जहॉं मार्ग कटान की ऊचांई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, विशेष रूप से बैण्ड्स पर एंव [illegible] भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(घ) जहॉं आवश्यक हो, मार्ग से ऊपर व नीचे पहाडी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रकिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(ङ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एवं [illegible] का भी पालन किया जाये।

मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधीं बिन्दु:–

(1) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा [illegible] ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में [illegible] में पहाडी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

[illegible]–परिन्दा–बौठा मोटर मार्ग के डेरियाखाल तक विस्तार हेतु 3.00 कि0मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। [illegible] हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:–

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एंव खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता0–उ0/05 दि0 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

H. Kumar 10.6.13

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभि. स्तर–1
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड
देहरादून